

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2011—चैत्र 1, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011

क्र. एफ-बी-1-09-2011-2-पांच(06).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3-ख में, उपनियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(12) जब आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि भवन का संनिर्माण और संयंत्र स्थापित करने का काम सभी दृष्टियों से पूर्ण हो गया है तो वह राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथाअवधारित वार्षिक या आनुपातिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि या कम कालावधि के लिए देशी स्पिरिट की बोटल भराई हेतु प्ररूप सी.एस. 1-ख में अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा. अनुज्ञप्ति, अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए, यथोपूर्वोक्त विहित फीस का संदाय करने पर प्रतिवर्ष नवीकृत की जा सकेगी.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011

क्र. एफ बी-1-09-2011-2-पांच(06).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-09-2011-2-पांच(06), दिनांक 22 मार्च, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd March 2011

No. F-B-1-09-2011-2-V(06).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (d) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, make the following further amendment in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3-B, for sub-rule (12), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

- “(12) When the Excise Commissioner is satisfied that the construction of the building and erection of the plant and machinery are complete in all respect, he may, grant a licence for bottling of country spirit in Form C.S. 1-B for a period of one year or lesser period, on payment of such annual or proportionate licence fee as determined by the State Government from time to time. The licence may be renewed every year on payment of the prescribed fee as aforesaid, subject to due observance of the provisions of the Act and rules made thereunder and conditions of the licence.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. Yadav, Addl. Secy.